

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

107 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

22.11.2022

17.02.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....आवेदक

बनाम

1—श्री महेश कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री दुर्गा लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक राज. निवासी ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक
.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत एफ.एस.एस.एक्ट 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51
उपस्थित—

1—पैरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 17.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2022 को समय 02:31 पी.एम पर मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री महेश कुमार गर्ग पुत्र स्व. श्री दुर्गा लाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेश कुमार गर्ग ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ स्टील की परात में लगभग 5-6 किलोग्राम हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेश कुमार गर्ग को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose) को अलग-अलग 500-500 ग्राम चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द किया एवं नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3261 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से



चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई-3261 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को घागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रैपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3307 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2670/एक्ट/2022/2704 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री महेश कुमार गर्ग स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शारित आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शारित रुपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीसा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0